

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक .....19.1.16

संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0 878...../श्री दूध नाथ सिंह, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्रोन्नति देते हुए कैमूर, भभुआ में पदस्थापित किया जाता है।

2. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....879...../श्री पाण्डेय ऋषिकांत सिन्हा, सब जज, पटना को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्रोन्नति देते हुए कैमूर, भभुआ में पदस्थापित किया जाता है।

3. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....880...../श्री शिव ध्यान सिंह, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्रोन्नति देते हुए कैमूर, भभुआ में पदस्थापित किया जाता है।

4. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....881...../श्री कौशलेश कुमार सिंह, सब जज-सह-सी0जे0एम0, गया को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्रोन्नति देते हुए कैमूर, भभुआ में पदस्थापित किया जाता है।

5. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....882...../सुश्री प्रीति वर्मा, सब जज, गया को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्रोन्नति देते हुए गया में पदस्थापित किया जाता है।


6. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....883...../श्री आलोक कुमार सिन्हा, सब जज I-सह-ए0सी0जे0एम0-सह-ए0एस0जे0, सिवान को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्रोन्नति देते हुए सिवान में पदस्थापित किया जाता है।

7. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....884...../श्री ईश्वर चन्द्र चतुर्वेदी, सब जज I-सह-ए0सी0जे0एम0-सह-ए0एस0जे0, नवादा को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्रोन्नति देते हुए नवादा में पदस्थापित किया जाता है।

8. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....885...../श्रीमती सुषमा त्रिवेदी, सब जज-सह-ए0सी0जे0एम0-सह-ए0एस0जे0, मुजफ्फरपुर को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्रोन्नति देते हुए भागलपुर में पदस्थापित किया जाता है।


9. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....886...../श्री राजेश कुमार II, सब जज I-सह-ए0सी0जे0एम0-सह-ए0एस0जे0, सासाराम को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्रोन्नति देते हुए कैमूर, भभुआ में पदस्थापित किया जाता है।
10. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....887...../श्री शशि धर विश्वकर्मा, सब जज I-सह-ए0सी0जे0एम0-सह-ए0एस0जे0, कटिहार को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्रोन्नति देते हुए अररिया में पदस्थापित किया जाता है।
11. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....888...../श्री बीरेन्द्र कुमार मिश्रा, सब जज I-सह-ए0सी0जे0एम0-सह-ए0एस0जे0, खगड़िया को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्रोन्नति देते हुए छपरा में पदस्थापित किया जाता है।
12. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....889...../श्री त्रिभुवन नाथ, सब जज I-सह-ए0सी0जे0एम0-सह-ए0एस0जे0, दानापुर को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्रोन्नति देते हुए लखीसराय में पदस्थापित किया जाता है।
13. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....890...../श्रीमती संगीता, पीठासीन पदाधिकारी, लेबर कोर्ट, पटना को 65 प्रतिशत कोटा प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में प्रोन्नति देते हुए पटना में पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(अरुण प्रकाश)


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0 .....890...../ पटना-15, दिनांक .....19.1.16.....  
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0 .....890...../ पटना-15, दिनांक .....19.1.2016.....  
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संबंधित सभी प्रोन्नत न्यायिक पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित सभी प्रोन्नत न्यायिक पदाधिकारियों को निदेश है कि प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण हेतु विकल्प मौलिक नियमावली के नियम-FR-22 के तहत एक माह के अन्दर समर्पित करें अन्यथा प्रोन्नति की तिथि को नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जायेगा।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।